

भारत का गजट
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 250] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 30, 1978/पौष 9, 1900
No. 250] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30, 1978/PAUSA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं. 82-ईटीसी(पी एन)/78

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1978

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय : खुले सामान्य लाइसेंस 3 के अधीन भारत से सूती धागे का निर्यात।

मिसल सं. 2/28/78-ई.—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं. 11-ईटीसी (पी एन)/78 दिनांक 16-2-78 की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसमें 31-12-78 तक पोतलदान के लिए सूती धागे की निर्यात नीति निर्धारित की गई है।

2. यह निश्चय किया गया है कि उच्चतम निर्धारित सीमा के भीतर 31 दिसम्बर, 1979 तक सभी किस्मों के और 6 काउन्ट्स और इससे अधिक के सूती धागों और टायर कार्ड के निर्यात की अनुमति तत्काल से सभी स्थानों के लिए दी जाए। लेकिन टायर कार्ड धागे को छोड़कर, 5 काउन्ट्स और कम के सभी प्रकार के सूती धागों के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. उपयुक्त किस्मों और क्वाण्टिटी के सूती धागे के निर्यात के लिए सभी ठेके सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के पास पंजीकृत कराने आवश्यक हैं। परिषद् द्वारा सूती धागे का पोतलदान केवल ऐसे ही पंजीकृत ठेकों के मद्दे अनुरोधित किया जाएगा। पोतलदान के लिए प्राधिकार पोत परिवहन बिलों पर पृष्ठांकित किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी एशियाई देशों के सदस्य राज्यों का पोतलदान के सम्बन्ध में कोटा वितरण नीति के बारे में आवश्यक घोषणा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा की जाएगी।

4. पोतवापिकों को चाहिए कि उनके द्वारा किए गए सूती धागे के पोतलदान का ब्याँरा प्रत्येक मास की 10 तारीख तक सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् को भेज दिया जाए। परिषद् का पता इस प्रकार है :—

इन्जीनियरिंग सेन्टर,

9-मैथ्यू रोड,

पांचवीं मीजल, बम्बई-400004

का. वॉ. शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

Public Notice No. 82-ETC(PN)/78

New Delhi, the 30th December, 1978

EXPORT TRADE CONTROL

Subject : Export of cotton yarn from India under, OGL-3.

F. No. 2/28/78-EL.—Attention is invited to the Department of Commerce Public Notice No. 11-ETC(PN)/78 dated 16-2-1978 laying down the export policy of cotton yarn for shipment upto 31-12-1978.

2. It has been decided to permit export of cotton yarn of all types and counts of 6s and above as well as tyre cord yarn with immediate effect to all destinations for shipment upto 31st December, 1979 within a specified ceiling. However, cotton yarn of all types in counts of 5s and below excluding tyre cord yarn, will not be allowed for export.

3. All contracts for export of cotton yarn of the eligible types and counts shall be required to be registered with the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay. Shipment of cotton yarn will be allowed by the Council only against such registered contracts. Authorisation for shipment will be endorsed on the shipping bills. In respect of shipments to the USA and the EEC member States, necessary announcements about the quota distribution policy will be made by the Cotton Textiles Export Promotion Council.

4. The shippers are required to submit to the Cotton Textiles Export Promotion Council by 10th of every month the details of the shipments of cotton yarn effected by them. The address of the Council is as under :—

Engineering Centre,
9, Mathew Road,
Fifth Floor,
Bombay-400004.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports